राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 186 जनवरी 2015 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

एसिड की बिक्री को विनियमित करने और एसिड हमले को गैर-जमानती अपराध बनाने के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बावजूद, हाल में दिल्ली में दो मोटर साईकिल सवार व्यक्तियों द्वारा एक महिला डॉक्टर पर किया गया एसिड हमला यह बताता है कि आदेश को लागू करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस वीभत्स दृश्य को एक स्थानीय बाजार की दुकान में लगे सी.सी.टी. वी. कैमरे ने कैद कर लिया था।

"एसिड हमले को रोको" नाम के एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मी नगर में अनेक दुकानों में एसिड आसानी से उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के आदेश का कोई पालन नहीं होता है। हमले पर प्रतिक्रिया जताते हुए गृह मंत्री ने एसिड के हमलावरों पर सख्ती करने और एसिड की खुली बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए उपायों का अनुमोदन किया है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एसिड हमला एक सबसे बड़ा नृशंस अपराध है जो उन पुरुषों द्वारा महिलाओं पर हमेशा किया जाता रहा है जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया है। इन नृशंस घटनाओं की सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि एसिड हमला करने वाले जमानत पर छूट जाते हैं जबकि पीड़िताएं अपने जीवन के लिए संघर्ष करती हैं और यदि वे बच भी जाती हैं, उनका यह सदमा उनके जीवन भर रहता है क्योंकि ऐसी घटनाएं पीड़ितों के शरीर और मन पर स्थायी छाप छोड़ जाती हैं क्योंकि अक्सर इसके कारण वे विरूप और जहां तक कि अंधी हो जाती हैं। ऐसे समाज में, जहां लोगों के मन में निःशक्तों के लिए कोई आदर नहीं होता है, एसिड हमले की पीड़िताओं की बेबसी की आसानी से कल्पना की जा सकती है।

चर्चा में — एसिड से हमले

ऐसी पीड़िताओं का पुनर्वास भी कठिन हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी, चमड़ी रोपण अथवा पुनः सर्जना सर्जरी न केवल महंगी होती है अपितु पूर्ण रूप से ठीक होने के अवसर भी कम होते हैं। यहां तक कि शिक्षित और पूर्व नियोजित महिलाओं की नौकरी खत्म हो जाती है और अचानक ही वे वित्तीय रूप से दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं और समाज से उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है।

उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं पर एसिड हमले को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्हें "हत्या से अधिक नृशंस" कहा है। सच बात तो यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है कि एसिड लोगों की पहुंच से दूर रहे, जब तक कि उनके पास इसके लिए आवश्यक परमिट न हों ओर इसके प्रयोग के कारण न हों। न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि पीड़ितों को दो महीनों के अंदर बाद की देखभाल और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये जितना अधिक मुआवजा दिया जाये।

जब भी ऐसे हमले होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा की तरह जनाक्रोश होता है परन्तु जोर निवारण पर दिया जाना चाहिए क्योंकि तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक एसिड बेचने वाले किसी व्यक्ति को कठोर दंड नहीं दिया जाता है। कोई भी समाज सभ्य नहीं समझा जा सकता है यदि वह ऐसे वीभत्स तरीके से महिलाओं को विरूप करने अथवा निःशक्त बनाने के कृत्य को रोकता नहीं है अथवा कम नहीं कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी और पुरुषों और महिलाओं द्वारा इस कृत्य के विरुद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए परन्तु इसके साथ-साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसिड, जो बदला लेने के लिए सबसे सस्ता हथियार है, गलत हाथों में न पड़े।

लीक से हटकर कार्य करना

पुरुषों के क्षेत्र को चुनौती देते हुए 12 महिलाओं का एक समूह हरे रंग की साड़ी पहले हुए प्रति दिन ढोल बजाने का अभ्यास करता है। ये महिलाएं दानापुर जिला, बिहार के ढीबरा गांव के "नारी गुंजन सरगम म्यूजिकल बैंड" की सदस्याएं हैं।

ये सभी महिलाएं अनुसूचित जाति समुदायों की हैं जो पहले कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करती थी और प्रतिदिन अधिक से अधिक 100 रुपये कमाती थी। परन्तु पिछले वर्ष जुलाई से बैंड विभिन्न कार्यक्रमों में, वैभवशाली होटलों सहित, प्रदर्शन कर रहा है। प्रत्येक प्रदर्शन के लिए हर सदस्या 500 रुपये कमाती हैं जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। अच्छा कमाने के अलावा वे मुसीबत में पड़ी महिलाओं की सहायता भी करती हैं।

जब शराबी पुरुष अपने घरों में अपनी पत्नियों से मारपीट करते हैं तो बैंड की सदस्याएं अन्य गांव वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके घरों के आगे ढोल बजाना शुरू कर देती हैं। जब गांव वाले उनके घरों के आगे इकट्ठा हो जाते हैं तो पुरुष अपमान के डर से अपनी पत्नियों से मारपीट तुरन्त बंद कर देते हैं।

आरम्भ में, जब वे अभ्यास करती थी तो पुरुष उनके ढोल बजाने पर आपत्ति करते थे और उन पर ताना कसते थे परन्तु जब से उन्होंने अच्छा कमाना शुरू किया, पुरुषों को कोई आपत्ति नहीं रही।

निःशक्तता वाली महिलाओं के संबंध में चर्चा

राष्ट्रीय महिला आयोग और सामर्थयम द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हॉल में संयुक्त रूप से एक गोलमेज परामर्श का आयोजन किया गया था। सदस्या शमीना शफीक ने अपने स्वागत भाषण में गोलमेज परामर्श के प्रयोजन पर प्रकाश डाला और सामर्थयम की संस्थापक सुश्री अंजली अग्रवाल ने निःशक्तता वाली महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज परामर्श आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहली बार निःशक्तता वाली महिलाओं पर चर्चा आयोजित की है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों और विभागों को लिखेंगी।

परामर्श सत्र के दौरान अध्यक्षा (बीच में), राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याएं और सुश्री अंजली अग्रवाल (दाहिने से चौथी)

विभिन्न प्रतिभागियों ने जो प्रस्तुतियां दी वे 4 महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित थी। (क) निःशक्तता वाली लड़कियों की शिक्षा, (ख) मूलभूत सेवाओं और सुलभ शौचालयों वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के अधिकार से वंचित होना, (ग) परिवारों, घरों/संस्थाओं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों में यौन उत्पीड़न और हिंसा, (घ) यौन और प्रजनन अधिकार : जबरन नजरबंदी, नसबंदी और जबरन औषधि देना जैसे बौद्धिक और दिमागी निःशक्तता वाली महिलाओं को ई.सी.टी. देना।

सदस्याओं द्वारा इन सिफारिशों को आगे भेजने की ठोस प्रतिबद्धता देने और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य आयोगों के साथ राज्य-स्तर चर्चा आयोजित करने में समर्थन देने के साथ यह गोलमेज सत्र समाप्त हुआ। सामर्थयम की टीम ने अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याओं और सभी सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों/अलग-अलग प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव देने का प्रस्ताव रखा।

इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस

इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 326, जिसमें ओड़िसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं, का सम्मेलन ओड़िसा के पुरी में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।

इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने इनर व्हील क्लबों द्वारा संपूर्ण जिले में किए गए सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सेवा की भावना बचपन से रहती है और इसलिए वे रोजगार में जाती हैं और घर की रोजमर्रा की जिम्मेदारी निभाती हुई सामाजिक सेवा भी करती हैं। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर चिन्ता व्यक्त की और इनर व्हील क्लबों के सदस्यों को विपत्ति में पड़ी महिलाओं की सहायता करने को प्रोत्साहित किया।

अध्यक्षा इनर व्हील कांफ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट 326 को संबोधित करती हुं

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुश्री अनिता पाटी ने प्रत्येक को जागरूक होने का आवाहन किया और महिलाओं को जोर देकर कहा कि वे महिलाओं को आजादी और सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। सम्मेलन में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 326 के 300 महिला नेताओं ने भाग लिया था, रोटेरियन भी बड़ी संख्या में शामिल थे।

सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जांच करने के लिए विशेष यूनिटों की स्थापना

केन्द्र ने बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, एसिड हमले, मानव अवैध व्यापार आदि जैसे अपराधों की जांच करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर 150 जांच यूनिटों (आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू.) की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। केन्द्र द्वारा आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. प्रायोगिक आधार पर प्रत्येक राज्य के सबसे अधिक अपराध संभावित जिलों में स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए राज्यों के साथ 50-50 लागत के बंटवारे का आधार होगा। गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखे पत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जांच, मुकदमा और अभियोजन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जांच यूनिटों में प्रत्येक में 15 कर्मी होंगे जिसमें प्राथमिक रूप से 5 महिलाएं होंगी।

उन्होंने कहा कि ये यूनिटें सक्रिय पुलिसिंग, आसूचना संकलन, संगठित अपराधों से निबटने, विधायी उपबंधों का समुचित क्रियान्वयन पर निगरानी रखने जागरूकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने का अतिरिक्त कार्य भी करेंगी।

वॉइसेज फॉर बीजिंग +20 पर राष्ट्रीय परामर्श

संयुक्त राष्ट्र महिला की बीजिंग +20 वैश्विक समीक्षा की तैयारी में ठोस प्रयास के रूप में सामाजिक अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.आर.) ने, जिसे एशिया प्रतिष्ठान ने समर्थन दिया, एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया जिसमें महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु सिफारिशों का सुझाव देने के लिए संबंधित पक्षों ने, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, प्रोफेसर और परामर्शदाता भी शामिल थे, भाग लिया। इन सिफारिशों पर मार्च में न्यूयार्क में उनसठवां महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।

पिछले कुछ महीनों से सामाजिक अनुसंधान केन्द्र ने भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का आकलन करने में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में दस फोरमों को आयोजित करके हज़ारों छात्रों को जुटाया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम दीया जलाती हुई जबकि सुश्री रंजना कुमारी (बाएं से दूसरी) और अन्य देख रही हैं

इस अवसर पर बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने समाज में महिला-पुरुष असमानता को और महिला-पुरुष बराबरी पर सरकार के साथ चर्चा में युवाओं की राय को शामिल करने के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर की शिक्षा से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निबटने में निवारक नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. पैट्रिशिया बरनदुन (संयुक्त राष्ट्र की महिला उप-प्रतिनिधि) ने मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिविल सोसायटी और युवाओं को शामिल करने में संयुक्त राष्ट्र महिला प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। सामाजिक अनुसंधान केन्द्र की निदेशक डॉ. रंजना कुमारी ने बीजिंग +20 समीक्षा प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करने के विचार पर बातचीत की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल उनकी सिफारिशों को अपने एजेंडा में कभी शामिल करेगा।

फील्ड वर्कर्स, शोधकर्ता और पुलिस कर्मियों ने मानव तस्करी, अल्पसंख्यकों की स्थिति, महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा, बाल विवाह और गिरते हुए लिंग अनुपात के तात्कालिक मुद्दे के विषयों पर जानकारी दी।

इन सिफारिशों को महिला समानता की स्थिति की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और मार्च 2015 को इसे रिलीज किया जाएगा। डॉ. रंजना कुमारी मार्च 2015 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महिला बीजिंग +20 वैश्विक समीक्षा में विश्व के श्रोताओं के समक्ष रिपोर्ट पर चर्चा करेंगी।

जयपुर प्रशिक्षण समारोह

शालिनी फैलो के दूसरे चरण का उद्घाटन समारोह 5 जनवरी, 2015 को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, मालवीय नगर, जयपुर में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम मुख्य अतिथि थी और ग्लोबल एजुकेशन एंड लीडरशिप फाउंडेशन की सी.ई.ओ. श्रीमती गौरी ईश्वरन सम्माननीय अतिथि थी।

अध्यक्षा एक लंबे समय से रहे स्वयंसेवक का सम्मान करती हुई

महिला नेता और सामाजिक उपक्रम

उद्योग जगत के नेता और विद्वतजनों के एक पैनल ने महिला नेतृत्व के अनेक पहलुओं ओर आई.आई.एम., अहमदाबाद में इसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पैनल के सदस्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, सुश्री अर्चना गरोदिया गुप्ता, एफ.एल.ओ. की चुनी हुई प्रेसीडेंट, एफ.आई.सी.सी.आई. की महिला स्कंध, प्रो. अनिल गुप्ता, डॉ. इंदिरा नित्यानंदम और आई.आई.एम., अहमदाबाद की प्रो. आशा कौल और एस.ई.डब्लयू.ए. की उमा सेन शामिल थी।

चर्चा में पुरुष और महिला नेतृत्व के बीच अंतर और भारत में महिला नेतृत्व को जिस तरीके से देखा जाता है, उसमें सुधार करने के लिए पुरुष की क्या भूमिका हो सकती है, को लिया गया। पैनल ने महसूस किया कि घर से बाहर निकलना और पुरुषों का सामना करना अनेकों के लिए अभी भी एक बड़ा अवरोध है। न केवल पुरुष अपितु महिलाएं भी अपने सीमित बाहरी गतिविधि के लिए जिम्मेदार हैं। महिलाओं को शिक्षा और पोषाहार आवश्यकता के मामले में अपने पुत्र और पुत्रियों को बराबर समझना चाहिए। पैनल ने सामाजिक उद्यमशीलता में महिलाओं इस स्थिति को कैसे सुधार सकती हैं, पर प्रकाश डाला है। पैनल ने एस.ई.डब्लयू.ए. की प्रशंसा की है और यह उल्लेख किया कि महिला सशक्तिकरण पर उनकी पहल भारत में संपूर्ण स्थिति को कैसे बदल रही है।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या हेमलता खेरिया मानव अधिकार मिशन द्वारा झारखंड के जमतारा में "मानव अधिकार एवं महिला जागरूकता अभियान" पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकार, सामान्यतः महिलाओं, और विशेष रूप से जनजातीय और अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा के बारे में चर्चा की। ● सदस्या ने झारखंड में मिहिजम और देवघर के गांवों का दौरा किया और संथाल और घटवार आदिवासी महिलाओं से बातचीत की ओर स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, निर्धनता, आर्थिक स्थिति, पानी, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सदस्या हेमलता खेरिया झारखंड के जनजातीय महिलाओं के साथ

❖ सदस्या शमीना शफीक ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा "गरिमा और समावेशी का मार्ग : भारत में संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक अथवा बौद्धिक निःशक्तता वाली महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाले शोषण को समाप्त करना" पर आयोजित बैठक में उपस्थित हुई। ● सदस्या जेल में कथित सेक्स रैकेट की रिपोर्ट की जांच करने के लिए बेंगलुरु जेल गई। ● श्रीमती शफीक मुम्बई में "भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों में बच्चों को दिखाया जाना" के मुद्दों पर टी.वी. सीरियल और कहानी लेखकों के साथ वार्ता में उपस्थित हुई। ● सदस्या मीडिया एसोसिएशन, मेरठ द्वारा "राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका" पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि मीडिया महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर राष्ट्र का चरित्र और प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकती है। ● श्रीमती शफीक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा "पारिवारिक न्यायालयों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका" पर आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता थी। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य सिविल/आपराधिक विवादों के समाधान में तर्क के विरोधी स्वरूप को समाप्त करना है। बाद में, उन्होंने साधनहीन श्रमिकों के बारे में एक्शन-एड, भोपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की। ● उन्होंने नरसिंहपुरा में बेड़िया समुदाय के महिला सेक्स वर्कर्स से बातचीत की और भोपाल में वन-स्टॉप क्राइसेस सेंटर भी गई जो पीड़ितों को कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं आदि देता है। ● सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विशेषकर युवाओं में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित महिला अधिकार अभियान में उपस्थित हुई।

महत्वपूर्ण निर्णय

● हाल में नई दिल्ली में हुई उबेर कैब घटना के बाद, जहां एक कैब में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों पर सभी सार्वजनिक वाहनों पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकार के अंतर्गत एक जी.पी.एस. सिस्टम स्थापित किया जाए, जहां सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिकली पुलिस स्टेशनों और पी.सी.आर. को प्रेषित की जाएंगी ताकि पीड़िता को बचाने में समय बरबाद न हो। ● दि वॉलमार्ट फाउंडेशन 2016 तक भारत में 12,500 महिला फैक्टरी श्रमिकों को प्रशिक्षण देगा। फाउंडेशन ने स्वास्ति हैल्थ रिसोर्स सेंटर के साथ समझौता किया हे और कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में 30 फैक्टरियों में काम कर रही 12,000 महिलाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचार, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शक्ति को पहचानने में सुरक्षा और महिला संवेदनशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण जीवन-कौशल के बारे में शिक्षा दी जाती है। ● दिल्ली पुलिस ने एक पहल आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत समाज के निर्बल वर्ग की लड़कियों को वाहन चलाने की और आत्मरक्षा में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे शारीरिक और वित्तीय रूप में सबल बन सकें। पुलिस मेरु, ई.जी. कैब और अन्य जैसे लाइसेंसधारी रेडियो टैक्सी सर्विस दाताओं से समझौता करेगी जो अपनी टैक्सी सेवा में इन लड़कियों को नौकरी दे सकते हैं। ● उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों को हत्या मानकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यदि साक्ष्य यह बताता है कि मृत्यु का कारण हत्या है। यह नोट करते हुए कि पुलिस और न्यायालयों की आम प्रथा यह है कि वे यदि किसी विवाहित महिला की विवाह के सात वर्ष के अंदर मृत्यु होती है तो वे उसे दहेज से होने वाली मौत मान लेते हैं, न्यायालय ने सुझाव दिया कि इन दृष्टिकोण को बदले जाने की आवश्यकता है। दहेज से होने वाली मौत में कम से कम 7 वर्ष का कारावास का दंड मिलता है जबकि मानव हत्या में ठोस साक्ष्य की जरूरत होती है क्योंकि इसमें दंड 10 वर्ष की अवधि से अधिक आजीवन तक का मिल सकता है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।